

अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा के पत्रांक-268/भू0सु0 दिनांक-02.11.2020 से अभिलेख प्राप्त है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा ने अभिलेख में उल्लेख किया है कि मौजा-चीनाढाव, थाना नं0-436 के गैरमजरूआ खाता सं0-71 के अन्दर खेसरा सं0-246 कुल खतियानी रकवा-14-08-06 धूर, किस्म-परतीकदीम के रूप में सर्वे खतियान में अंकित है। इसी खेसरा के अन्दर अंश रकवा 2.50 (ढाई) एकड़ भूमि अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बन्दोबस्ती केश सं0-143/1978-79 से प्रयाग साह, पिता-बाबुलाल साह, साकिन-चीनाढाव के साथ अनुमण्डल स्तर से बंदोबस्त किया गया है। स्थलीय जांच में पाया कि बन्दोवस्तदार द्वारा उक्त बन्दोबस्त भूमि को अभी तक जोत आबाद/जोत-कोड़ नहीं किया गया है। फोटो कॉपी संलग्न। सथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा-33 में वर्णित है बंदोबस्ती की तिथि से पाँच वर्ष के अन्दर बंदोबस्तदार द्वारा बंदोबस्त भूमि का जोत-कोड़/दखल-कब्जा किया जाना अनिवार्य है। अतः विभागीय पत्र के आलोक में सथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा-33 का अनुपालन नहीं होने के कारण आवेदक के साथ की गई उक्त बंदोबस्ती रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा द्वारा सथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम-1949 की धारा-33 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन नहीं रहने के कारण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण 89/2020-1704/रा0 दिनांक-15.07.2020 के आलोक में मौजा- चीनाढाव, थाना सं0-436 के गैरमजरूआ खाता सं0-71 के अंदर खेसरा सं0-246 का अंश रकवा 2.50 (ढाई) एकड़ किस्म-परतीकदीम भूमि की प्रयाग साह, पिता-बाबुलाल साह, साकिन-चीनाढाव के साथ कायम अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा किया गया है।

अतः भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा के अनुशंसा के आधार पर सथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम-1949 की धारा-33 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन नहीं रहने के कारण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण 89/2020-1704/रा0 दिनांक- 15.07.2020 के आलोक में मौजा- चीनाढाव, थाना सं0-436 के गैरमजरूआ खाता सं0-71 के अंदर खेसरा सं0-246 का अंश रकवा 2.50 (ढाई) एकड़ किस्म-परतीकदीम भूमि की प्रयाग साह, पिता-बाबुलाल साह, साकिन-चीनाढाव के साथ कायम अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी को रद्द किया जाता है।

अभिलेख अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजे एवं इसकी सूचना भूमि सुधार उपसमाहर्ता गोड्डा को दे।

लेखापित एवं संशोधित

18/11/2020  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
गोड्डा।

18/11/2020  
अनुमंडल पदाधिकारी,